हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजेश कुमार बनाम राज० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/06/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 25/06/2025 को पेश हो।	
25/06/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो।	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 6/8/25 को पेश हो।	
6/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/8/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 22/8/25 को पेश हो।	
22/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 38 / 2024

1. राजेश कुमार पुत्र अमर सिंह जाति गडरिया निवासी पिचूना तहसील उच्चैन।
....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः—22.08.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1688 / 0.86, 2023 / 0.50, 2069 / 1.51, 2073 / 0.57, 2118 / 0.28, 2134 / 0.43, बाके ग्राम पिचूना में स्थित है। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी की पैत्रिक एवं विरासत से प्राप्त आराजी है। मुझ प्रार्थी के पिता अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात जब विरासत का नामान्तकरण संख्या 1451 दर्ज किया गया था उस समय मुझ प्रार्थी का सही नाम राजेश कुमार के नाम से दर्ज किया गया था लेकिन जब नामान्तकरण संख्या 1451 का जमाबन्दी में अमल दर्ज किया गया तब भी सही नाम राजेश कुमार का ही अंकन किया गया था लेकिन बाद में राजेश कुमार के स्थान पर राकेश कुमार गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त अशुद्धि की जानकारी प्रार्थी को उस समय हुई जब वह प्राधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कराने ई मित्र पर पहुंचा। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में हो रही अशुद्धि को शुद्ध कराने हेतु तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो तहसीलदार उच्चैन के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि बर्तमान जमाबंदी सम्बत् 2075—2078 में खाता सं0 510 पर राकेश कुमार पुत्र अमरसिंह दर्ज रिकार्ड है जबकि नामा. संख्या 1451 में राजेश कुमार पुत्र अमरसिंह दर्ज रिकार्ड है, जो कि सही है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है जो कि प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी को जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1451 के द्वारा प्राप्त हुई है। विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी के सही नाम राजेश कुमार के नाम से ही दर्ज किया गया था परन्तु बाद की जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार के स्थान पर राकेश कुमार दर्ज कर दिया गया है जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राकेश कुमार के स्थान पर राजेश कुमार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–2078, प्रतिलिपी नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम पिचूना नामान्तरकरण संख्या 1451 एवं पत्रावली के साथ पेश अन्य पहचान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1451 ग्राम पिचूना के नामान्तरकरण रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का सही नाम राजेश कुमार दर्ज है अतः वर्तमान जमाबंदी सम्बत् 2075–2078 में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:अतः आदेश है:–

वाद पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1688/0.86, 2023/0.50, 2069/1.51, 2073/0.57, 2118/0.28, 2134/0.43 वाके ग्राम पिचूना तहसील उच्चैन में प्रार्थी के गलत नाम राकेश कुमार पुत्र अमरसिंह को कलमजन कर प्रार्थी के सही नाम राजेश कुमार पुत्र अमरसिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर